

'प्रेमचंद के उपन्यासों में कृषक समस्याएं'

प्रो.रौशन कुमार(हिन्दी विभाग)

जनता कोशी महाविद्यालय बिरौल

प्रेमचंद( 1880 से 1936 ई) हिंदी के युग प्रवर्तक उपन्यासकार है। उनके उपन्यासों में सामान्य जनता की समस्याओं की कलात्मक अभिव्यक्ति है तथा जनजीवन का प्रमाणिक एवं वास्तविक चित्र प्रस्तुत किया गया है। प्रेमचंद्र के प्रमुख उपन्यासों में है सेवासदन ,प्रेमाश्रम ,रंगभूमि, कायाकल्प ,कर्मभूमि ,निर्मला, गवन और गोदान। प्रेमचंद्र ने हिंदी कथा साहित्य को मनोरंजन के स्तर से ऊपर उठाकर जीवन के साथ जोड़ने का काम किया। सेवा सदन में उन्होंने विवाह से जुड़ी समस्याओं दहेज प्रथा कुलीनता का प्रश्न पत्नी का स्थान आदि को उठाया है तो निर्मला में दहेज प्रथा एवं अनमोल विवाह की समस्या प्रस्तुत की गई है। कृषक जीवन की समस्याओं का चित्रण उन्होंने प्रेमाश्रम 1922 तथा गोदान 1936 ईस्वी में किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रेमचंद का मूल्यांकन करते हुए लिखा है प्रेमचंद शताब्दियों से दलित अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। अगर आप उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार विचार भाषा भाव रहन-सहन आशा आकांक्षा दुख सुख और सूझबूझ जाना चाहते हैं तो प्रेमचंद्र से उत्तम परिचायक आपको नहीं मिल सकता। प्रेमचंद सच्चे अर्थों में जीवन के चितरे थे और उनकी दृष्ट

यथार्थोमुखी होते हुए भी आदर्शवादी थी। साहित्य व्यक्ति को संस्कारित करता है ऐसी प्रेमचंद्र जी की मान्यता थी। उपन्यास के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए लिखते हैं --हम साहित्य को मनोरंजन और विलासिता की वस्तु नहीं समझते। हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जिसमें चित्रण की स्वाधीनता का भाव सौंदर्य का सार हो, सृजन की आत्मा हो जीवन की सच्चाई का प्रकाश हो, जो हममें गति संघर्ष और बेचैनी पैदा करें सुलाए नहीं।" प्रेमचंद्र के उपन्यासों में कृषक समस्याओं का निरूपण हुआ है प्रेमाश्रम तथा गोदान। प्रेमाश्रम को गोदान की पूर्व का कहा जा सकता है। कृषकों के शोषण का एक पक्ष ही इन में चित्रित है प्रेमशंकर इस उपन्यास के केंद्रीय पात्र है गांधीवाद से प्रभावित है। 1936 में प्रकाशित गोदान प्रेमचंद्र का कृषक समस्या पर आधारित महाकाव्य उपन्यास है। किसानों का शोषण किस प्रकार होता है इसका चित्रण होरी की कथा में हुआ है। होरी कृषक वर्ग का प्रतिनिधि पात्र है। हर किसान की समस्याएं लगभग वैसी ही हैं जैसी होरी की हैं। उसके जीवन की त्रासदी हर किसान के जीवन की त्रासदी को प्रस्तुत करती है। जब भारत में जमींदारी प्रथा थी तब हर किसान जमींदार के शिकंजे में फंसा हुआ था। जमींदार कारकुन, पटवारी, सूदखोर, महाजन, समाज के ठेकेदार, धर्म के ठेकेदार, किस प्रकार किसान का शोषण करते हैं इसी को गोदान की कथा में प्रस्तुत किया गया है जो किसान सारे देश के लिए अन्न उपजाता है जाता है वही स्वयं भूखा है। वह जानता है कि वह शोषण का शिकार है किंतु अपने रूढ़िबद्ध संस्कारों के चलते अपने शोषकों के प्रति क्रोधाभिभूत नहीं होता। इस शोषण के लिए वह अपने भाग्य को दोषी मानता है

छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं। संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। उन्होंने पूर्व जन्म में जैसे कर्म किए हैं उनका आनंद भोग रहे हैं। हमने कुछ नहीं साँचा तो भोगे क्या। किंतु उसका पुत्र गोबर जो प्रगतिशील चेतना से युक्त विद्रोही युवक है अपने पिता के इस तर्क को स्वीकार नहीं करता और कहता है कि भगवान तो सबको बराबर मानते हैं। यहां जिसके हाथ में लाठी है वह गरीबों को कुचलकर बड़ा आदमी बन जाता है। किसानों की इस शोषण का कारण उसके संस्कार रूढ़िवादिता और संगठन का अभाव है। उन्हें अपने अधिकारों का बोध नहीं है वह अशिक्षित हैं इसलिए इस शोषण के खिलाफ एकजुट नहीं हो पाते हैं। जमींदार लगान वसूल करने के साथ-साथ इजाफा लगाम शगुन नजराना सब वसूल करता है और उसे फिजूलखर्ची कर उड़ा देता है। राय साहब जैसे रंगे सियार बातें तो मीठी करते हैं किसानों के शुभेच्छु बनते हैं किंतु जमींदार होने के कारण किसान का पूरी तरह शोषण करते हैं। उनकी कथनी करनी में जमीन आसमान का भेद है राय साहब अमरपाल सिंह के साथ प्रोफेसर मेहता की पूरी बहस यह ध्वनित करती है कि राय साहब जैसे रंगे सियार की प्रवृत्ति से मेहता जैसे बुद्धिजीवी भली भांति परिचित है। किसान का शोषण जमींदार ही नहीं करता अपितु इससे गांव के महाजन, साहूकार, समाज के ठेकेदार, भी शामिल हैं उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर 75% वार्षिक से 150% वार्षिक की दर से शुल्क वसूला है। किसान ना चाहते हुए भी कर्ज लेने को विवश है कभी बैल खरीदने के लिए तो कभी बीज के लिए खाद के लिए तो कभी लगान के लिए। होली को लगता है कि उस पर इसी तरह कर्ज का बोझ बढ़ता जाएगा और एक दिन घर द्वार सब नीलाम हो जाएगा और तब

उसके बच्चे भीख मांगेंगे ,किंतु या विपत्ति केवल होरी की ही नहीं अपितु अन्य सभी किसानों को झेलनी पड़ रही थी। जमींदार के कारकून कारिंदा सरकार के पटवारी भी किसान का शोषण करते हैं। पुलिस के गंडा सिंह जैसे थानेदार की मिलीभगत गांव के मुखिया लोगों से है जो होरी से मिलने वाली रिश्तत में अपना हाथ बांटने को तत्पर है। झुनिया को घर में आश्रय देने से होरी को समाज का कोप भाजन बनना पड़ा और गांव के भाग्य विधाताओं ने ₹100 दंड और 30 मन अनाज जुर्माने के रूप में वसूल किया। मृत्यु के अवसर पर दाता दिन जैसे धर्म के ठेकेदार होरी से गोदान की अपेक्षा करते हैं जो व्यक्ति जीवन पर्यंत एक गाय का जुगाड़ नहीं कर सका उसे मरते समय गोदान के लिए कहना कहां का न्याय है। प्रेमचंद्र को स्पष्ट दिख रहा है कि शोषण की प्रक्रिया अधिक दिनों तक नहीं चलेगी राय साहब को भी आभास हो चला था कि शीघ्र ही जमींदारी प्रथा समाप्त हो जाएगी लक्षण कह रहे हैं कि बहुत जल्द हमारे वर्ग की हस्ती मिट जाने वाली है। 1936 में लिख लिखे गए इस उपन्यास में प्रेमचंद्र ने जो भविष्यवाणी की थी वह अंततः 1952 में जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के साथ सत्य सिद्ध हुई। स्पष्ट है कि प्रेमाश्रम और गोदाम में प्रेमचंद्र कृषक जीवन से जुड़ी सभी प्रमुख समस्याओं का चित्रण करने में सफल हुए हैं।